

अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2-DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2160,00,00		
पूरक	Supplementary	116,00,00	2260,47,68	-15,52,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,65,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, कुल बचतें (1552.32 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 11600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थी।

1. In the grant, the overall savings (Rs.1552.32 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grants of Rs.11600.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"			
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Agricultural Research and Education			
मू.	O.	202345.00		
पू.	S.	10800.00	227280.00	225917.83
पु.	R.	14135.00		-1362.17
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	13500.00		
पू.	S.	800.00
पु.	R.	-14300.00		..

(I) 14300.75 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 14100.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.14300.75 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.14100.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 600.00 लाख रु.;

(ख) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 2500.00 लाख रु.;

(ग) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 1600.00 लाख रु.;

(घ) “बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें - कृषि शिक्षा संस्थान अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 800.00 लाख रु.;

(खा) “मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि वन अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 800.00 लाख रु.;

(गा) “पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 1000.00 लाख रु.;

(घा) “सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा) - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य कार्यक्रम” - 500.00 लाख रु.; और

(डा) “सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा) - अन्य संस्थानों को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” - 6300.00 लाख रु. (800.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2415” - “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(A) “Crop Husbandry- Assistance to I.C.A.R.”-

(a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - Rs.600.00 lakhs;

(b) “Agricultural Extension Institutes, Research & Education Schemes” - Rs.2500.00 lakhs;

(c) “Agricultural Education Institutes, Research & Education Schemes” - Rs.1600.00 lakhs;

(d) “Externally Aided Projects/Schemes - Agricultural Education Institutes Research & Education Schemes” -Rs.800.00 lakhs;

(B) “Soil and Water Conservation – Assistance to ICAR - Other Natural Resource Management Institute Res. & Edn. Schemes including Agro Forestry Res. & Edn. Schemes” – Rs.800.00 lakhs;

(C) “Animal Husbandry - Assistance to ICAR- Animal Science Institutes, Res. & Edn. Schemes including Dairy Res. Instt. & Schemes” - Rs.1000.00 lakhs;

(D) “General (Agril. Res. & Edn.) – International Co-operation – Other Programmes” - Rs.500.00 lakhs; and

(E) “General (Agril. Res. & Edn.) – Assistance to Other Institutions –Grants-in-aid to Central Agricultural University Imphal” – Rs.6300.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.800.00 lakhs).

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “2415” – “Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R.” – remained wholly unutilised under the following heads:-

(का) “एएसआरबी और डीआईपीए सहित, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं” - 22425.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 59.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 22484.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 750.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(खा) “कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 6390.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 128.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6518.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 300.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) कृषि अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमें” - 1660.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1685.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता कम होने के कारण 50.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 50660.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1109.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 51769.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो वैज्ञानिक मानव शक्ति का सृजन/भर्ती न किए जाने एवं नई परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 600.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) “ICAR Headquarter Administration including ASRB & DIPA, Research and Education Schemes” - the original provision of Rs.22425.00 lakhs was augmented to Rs.22484.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.59.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.750.00 lakhs (including supplementary grant); and

(B) “Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes” - the original provision of Rs.6390.00 lakhs was augmented to Rs.6518.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.128.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.300.00 lakhs (including supplementary grant).

Provisions under the above two heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage.

(C) “Agricultural Economics and Statistics Institutes, Research and Education Schemes” - the original provision of Rs.1660.00 lakhs was augmented to Rs.1685.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.50.00 lakhs (including supplementary grant) due to less requirement of funds under various schemes.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head “2415” remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R.” –

(a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” – the original provision of Rs.50660.00 lakhs was augmented to Rs.51769.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1109.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.600.00 lakhs - due to non-creation/recruitment of scientific manpower and non-finalisation of new projects.

(ख) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमें” - 14020.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 581.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 14601.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण 523.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) “मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि-वन अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमें” - 14342.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 278.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 14620.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण 58.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) “पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 19690.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1026.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 20716.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 500.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(घा) “मत्स्य पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 8720.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 310.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 9030.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 170.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(b) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” – the original provision of Rs.14020.00 lakhs was augmented to Rs.14601.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.581.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.523.00 lakhs - due to slow pace of work by Central Public Works Department.

(B) “Soil and Water Conservation – Assistance to I.C.A.R. – Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro – Forestry Research and Education Schemes” - the original provision of Rs.14342.00 lakhs was augmented to Rs.14620.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.278.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.58.00 lakhs - due to less requirement of funds under various schemes.

(C) “Animal Husbandry - Assistance to ICAR, Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institute and Schemes” - the original provision of Rs.19690.00 lakhs was augmented to Rs.20716.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1026.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.500.00 lakhs; and

(D) “Fisheries – Assistance to I.C.A.R. – Fisheries Institutes, Research and Education Scheme” - the original provision of Rs.8720.00 lakhs was augmented to Rs.9030.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.310.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.170.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage.

(IV) Under Major Head “2415” – savings also occurred under the following heads:-

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R.” -

- (क) “कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अधीन उपकर की निवल प्राप्तियों को अदायगी” - 1311.93 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार द्वारा ए.पी. उपकर अधिनियम 2006 को समाप्त किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें” - 8100.00 लाख रु. की बचत (9250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (खा) “सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य कार्यक्रम” - 4077.95 लाख रु. की बचत (4550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनएफबीएसआरए की नई स्कीम के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (29251.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में 10800.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-
- (क) “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -
- (क) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 4315.00 लाख रु.।
- (ख) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 16887.00 लाख रु.।
- (खा) “सामान्य - अन्य संस्थानों को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” - 8049.00 लाख रु.।
- (a) “Payment of Net Proceeds of Cess under Agricultural Produce Cess Act, 1940” – saving of Rs.1311.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to abolition of the A.P.Cess Act, 2006 by the Govt. of India.
- (b) “Externally Aided Projects/Schemes” – saving of Rs.8100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9250.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for World Bank Aided Project.
- (B) “General – International Cooperation – Other Programmes” - saving of Rs.4077.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4550.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for new scheme of NFBSRA.
2. The above savings were partly (Rs.29251.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.10800.00 lakhs in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 under Major Head “2415” –under the following heads:-
- (A) “Crop Husbandry – Assistance to ICAR” -
- (a) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - Rs.4315.00 lakhs.
- (b) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - Rs.16887.00 lakhs.
- (B) “General - Assistance to Other Institutions – Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” - Rs.8049.00 lakhs.